<u>मामला संख्याः एडी (ओआई)-47/2025</u>

सत्यमेव जयते

<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/52/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

दिनांकः 25.09.2026

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>

मामला संख्याः एडी (ओआई)-47/2025

<u>विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।</u>

फा. संख्या 6/52/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के

निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड, सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई।

2. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत् समर्थित आवेदन की जांच करने पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/52/2025-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् (i) एचईडीपी एसिड और (ii) एटीएमपी एसिड (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु", "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की, ताकि संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर प्राधिकारी ने नोट किया कि डीटीपीएमपीए एसिड के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई थी। तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डीटीपीएमपीए एसिड के आयातों के संबंध में जांच शुरू नहीं की।

ख. प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1. जांच की शुरुआत

i. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 29 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसके माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार को उपलब्ध कराई। जहां कहीं अनुरोध किया गया, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

3.3. संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

क. हांगझोउ बेटर केमटेक लिमिटेड
ख. हेबेई लॉन्गके वॉटर ट्रीटमेंट कंपनी लिमिटेड
ग. जियुआन किंगयुआन वॉटर ट्रीटमेंट कंपनी लिमिटेड
घ. शानडोंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज इम्पोर्ट
ङ. शानडोंग ताइहे केमिकल्स लिमिटेड
च. वेइफांग युकाई केमिकल लिमिटेड
छ. ज़ाओज़ुआंग काइरुई वॉटर ट्रीटमेंट कंपनी लिमिटेड

ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश के पीयूसी के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

3.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में पीयूसी के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली भी भेजी गई:

क. आदित्य फाइनकेम प्राइवेट लिमिटेड
ख. आरतिया केम साइंस
ग. एबाकेम स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
घ. एमकेम इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
ङ. अमेज़न पैपाइरस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
च. एम्पसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
छ. एनी केमी प्राइवेट लिमिटेड
ज. एवीए केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
झ. भक्ति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ञ. केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड
ट. केमप्योर प्राइवेट लिमिटेड
ठ. क्लासिक केमिकल्स
ड. डाइवर्सी इंडिया हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड
ढ. डोशियन पॉलीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
ण. डाइस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
त. ओ केमिकल (एमएफजी) प्राइवेट लिमिटेड
थ. फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड
द. फ्लोरा केमिकल्स
ध. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
न. आयोनाशिया प्राइवेट लिमिटेड
ऩ. जेएवाई केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
प. लोक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
फ. मल्टीकेम स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
ब. नीलम एक्वा एंड स्पेशलिटी केम प्राइवेट लिमिटेड
भ. पारिकेम रिसोर्सेज एलएलपी

म. रेडा केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
य. सत्यजीत स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
र. शिमर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ऱ. अल्टिमा स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ल. वासु केमिकल्स एलएलपी
ळ. वेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

ii. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से पीयूसी के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

3.5. जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लेखित, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 मानी गई। क्षति अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई शामिल हैं।

3.6. आगे की प्रक्रिया

i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल द्वारा भेजें।

iii. डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वर्षों और पीओआई के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन-वार आयात विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुआ। लेनदेनों की उचित जांच के बाद प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में विचार आमंत्रित किए। हितबद्ध पक्षकारों से कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया कि वर्तमान जांच के लिए कोई पीसीएन नहीं अपनाया गया है।

v. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 21 जनवरी 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध तथा उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया गया।

vi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

vii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

viii. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सटीकता का सत्यापन किया गया, जो इस अंतिम निष्कर्ष का आधार है। सूचना का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जिस सीमा तक उन्हें संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और उन्हें बनाने एवं बेचने की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

x. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए, प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया है।

xi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार 10.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इन अंतिम निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गई हैं।

xii. इन अंतिम निष्कर्षों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के अंतर्गत ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

xiii. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित और जांच की अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र लागू की गई है।
स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने पीयूसी और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
   क. पीयूसी में (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड के सभी रूप और सांद्रताएं शामिल हैं, परंतु इन दोनों एसिडों के लवण, फॉर्म्युलेशन और डेरिवेटिव अपवर्जित हैं।
   ख. एचईडीपी एसिड के 90% आयात 60% सांद्रता वाले द्रव रूप में हैं और घरेलू उद्योग की 98% बिक्री भी इसी रूप और सांद्रता में है।
   ग. संबद्ध देश से एटीएमपी एसिड के आयात और घरेलू उद्योग की बिक्री 50% सांद्रता में हैं।
   घ. वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सांद्रताओं को एचईडीपी एसिड के लिए 60% और एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता के समतुल्य मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित पीयूसी की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरुआत के चरण पर पीयूसी का निम्नलिखित दायरा अधिसूचित किया गया था।

"3. वर्तमान जांच में पीयूसी "कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड" अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड है, उनके सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में, परंतु उनके लवण, फॉर्म्युलेशन और डेरिवेटिव अपवर्जित हैं।

I. एचईडीपी एसिड

एचईडीपी एसिड अथवा एटिड्रोनिक एसिड एक पारदर्शी रंगहीन से हल्के पीले रंग का एसिड है। इसका रासायनिक नाम 1-हाइड्रॉक्सी एथिलिडीन-1,1-डाइफॉस्फोनिक एसिड है, इसका रासायनिक सूत्र C2H8O7P2 है और उत्पाद का सीएएस नंबर 2809-21-4 है। इसे हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन-1,1-डाइफॉस्फोनिक एसिड, 1-हाइड्रॉक्सीएथिलिडीनडाइफॉस्फोनिक एसिड और हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन डाइफॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। उत्पाद जलीय और क्रिस्टल जैसे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। तथापि, उत्पाद का मुख्यतः 60% सांद्रता में आयात और बिक्री होती है। इसका उत्पादन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट, जल उपचार, ऑयलफील्ड, वस्त्र, कागज, व्यक्तिगत देखभाल, आरओ मेम्ब्रेन और तापीय विलवणीकरण एंटी-स्केलेंट सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में होता है।

II. एटीएमपी एसिड

एटीएमपी एसिड अथवा अमीनोट्राइमेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र N(CH2PO3H2)3 और सीएएस नंबर 6419-19-8 है। इसे अमीनो ट्राइ(मेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड) और ट्रिस(मेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड) अमीन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद जलीय घोल और विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। इसका उत्पादन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की अमोनिया अथवा अमोनियम लवण और फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक जल उपचार, ऑयलफील्ड, औद्योगिक क्लीनर, कागज एवं पल्प, वस्त्र उद्योग, धातु उपचार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंक और

निर्माण रसायनों के लिए विभिन्न रासायनिक फॉर्म्युलेशनों में स्केल इनहिबिटर और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।"

7. पीयूसी और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी जांच शुरुआत के चरण में यथा विचारित विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं।

8. पीयूसी को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, पीयूसी का आयात अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 38 के अंतर्गत भी किया जाता है। पीयूसी का आयात प्रशुल्क मद 2918 2910, 2922 1990, 2931 4990, 2931 5900, 2931 9019, 2931 9090, 2942 0090, 3809 9200 और 3824 9900 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. पीयूसी का उत्पादन और बिक्री वजन के आधार पर, मीट्रिक टन (एमटी) में व्यक्त करके, की जाती है और वर्तमान जांच के लिए इसी इकाई को अपनाया गया है।

10. वर्तमान जांच के दौरान पीसीएन पद्धति अपनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। घरेलू उद्योग ने बताया है कि जहां एचईडीपी एसिड के प्रमुख आयात 60% सांद्रता में हैं, वहीं एटीएमपी एसिड के आयात 50% सांद्रता में हैं। घरेलू उद्योग भी इन्हीं सांद्रताओं में वस्तुओं की आपूर्ति करता है, जिससे पीसीएन अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। घरेलू उद्योग ने प्रस्ताव किया कि वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अन्य सांद्रताओं में आयातों को एचईडीपी एसिड के लिए 60% और एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता के समतुल्य मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः वर्तमान जांच के लिए कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानता है कि संबद्ध देश से निर्यातित पीयूसी और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी, भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन के संदर्भ में आयातित संबद्ध उत्पाद के तुलनीय है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह प्रस्तावित है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पादों की "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
    - क. आवेदक समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - ख. आवेदकों ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश से पीयूसी के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं।
    - ग. एक्वाफार्म केमिकल्स लिमिटेड ने पीओआई से पहले क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का छोटी मात्रा में आयात किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" से आशय समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे घरेलू उत्पादकों से समग्र रूप में अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनाता है; परंतु जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, वहां "घरेलू उद्योग" शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"*

15. वर्तमान आवेदन एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के कोई अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादक नहीं हैं। तदनुसार, दोनों आवेदक संयुक्त रूप से संबद्ध वस्तुओं अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के अर्थ में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

16. आवेदकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया और वे पीयूसी के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड ने पीओआई से पहले, क्षति अवधि के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का आयात किया था। तथापि, ऐसे आयात पीओआई के दौरान नहीं किए गए और इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों के आधार को प्रभावित नहीं करते।

17. प्राधिकारी नोट करता है कि पीओआई से पहले किए गए आयात घरेलू उद्योग के दायरे के निर्धारण के लिए संगत नहीं हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन उक्त नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. विविध मुद्दे और गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

> *"गोपनीय सूचना:*
> *(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की*

प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, उसी रूप में मानी जाएगी और ऐसी सूचना उसे उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में उस सूचना का सार बनाना संभव नहीं है, तो वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सार बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है।

i. चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।
ii. किसी तीसरे देश में लागत अथवा कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध न होने पर सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
iii. निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के भारित औसत के आधार पर, उचित लाभ जोड़कर, किया जाना चाहिए और यह आवेदकों में न्यूनतम लागत अथवा इष्टतम लागत के आधार पर नहीं होना चाहिए।
iv. यह मानना कि चीनी उत्पादक अपने संयंत्रों को उत्पादन की सर्वाधिक दक्ष लागत पर चला रहे हैं, सही नहीं है और सामान्य मूल्य के लिए इष्टतम लागत पर विचार करने की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराता।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

"(i) समान वस्तु की वह तुलनीय कीमत जो सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग के लिए हो और उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो; अथवा
(ii) जहां निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में समान वस्तु की बिक्री न हो, अथवा जहां विशेष बाजार स्थिति या घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति न दे, वहां सामान्य मूल्य निम्न में से होगा:

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत; अथवा मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित वृद्धि की गई हो;

(ख) परंतु जहां वस्तु का आयात मूल देश से भिन्न किसी देश से किया जाता है और वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया हो, अथवा ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित न होती हो, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

25. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली जारी कर निर्धारित रूप और तरीके से आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। तथापि, संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया। तदनुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों, अर्थात् डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और घरेलू उद्योग के अनुरोध, के आधार पर नीचे दिए अनुसार किया गया है।

च.3.1 <u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

26. डब्ल्यूटीओ में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गैट 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ("पाटनरोधी करार") और एससीएम करार, चीनी मूल के आयातों से संबंधित किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य की कार्यवाहियों में निम्नानुसार लागू होंगे:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा, या ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के आधार पर:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकें कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;
(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा सकें कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।
(iii) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों से निपटते समय एससीएम

करार के संबंधित प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियां उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य चीन से बाहर प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों के उपयोग पर विचार करने से पहले चीन में प्रचलित ऐसी शर्तों और परिस्थितियों में समायोजन करेगा।

(iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति को देगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समिति को देगा।

(v) एक बार चीन, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, यह स्थापित कर दे कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि परिग्रहण की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर दे कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।"

27. आवेदकों ने डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) पर भरोसा किया है। आवेदकों का तर्क है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि पीयूसी के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं। आवेदकों ने आगे अनुरोध किया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह स्थापित करने में विफल रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

28. जांच की शुरुआत के चरण पर प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए समुचित समायोजन करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण

किया। जांच शुरू होने पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत सूचना का उत्तर देने और उनकी बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार से संबंधित पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

29. प्राधिकारी चीन जन. गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करता है:

> *"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर किया जाएगा; अथवा जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, समान विषय में किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में की गई जांच का निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले उक्त तीसरे देश के चयन की बिना अनुचित विलंब के सूचना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"*
>
> *"8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" से आशय ऐसे देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्यरत नहीं मानता, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री वस्तु के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती, जैसा कि उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।*

(2) यह धारणा होगी कि जिस देश को जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा उस देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य देकर इस धारणा का खंडन कर सकती हैं जिससे उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित हो कि ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि क्या: (क) उस देश की संबंधित फर्मों के कीमतों, लागतों और इनपुटों, जिसमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, संबंधी निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं तथा क्या प्रमुख इनपुटों की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से चली आ रही महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे-खाते, वस्तु-विनिमय व्यापार और ऋणों के प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं; और (घ) विनिमय दर का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है। तथापि, जहां इस पैरा में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य से यह दिखाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां प्रचलित हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 और इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांत लागू कर सकता है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकता है, यदि प्रासंगिक मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन, जिसमें उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के आधार पर किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश द्वारा सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा उस देश को पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना अथवा निर्धारित किया गया हो।

30. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की जांच की है। प्रथम, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में समान वस्तु की कीमत अथवा परिकलित मूल्य के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रथम विकल्प लागू नहीं किया जा सका। द्वितीय, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न टैरिफ वर्गीकरणों के अंतर्गत किया जाता है, जिसके कारण विश्वसनीय उत्पाद-विशिष्ट निर्यात कीमतों का अभिनिर्धारण करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात नगण्य हैं। अतः द्वितीय विकल्प को भी उपयुक्त नहीं माना गया।

31. तदनुसार, प्रथम दो विकल्पों को लागू करने के लिए विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने पैरा 7 के अंतर्गत परिकल्पित तृतीय आधार पर कार्यवाही की है, अर्थात "समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन किया गया हो"। तदनुसार, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए उचित समायोजन करने और तर्कसंगत लाभ जोड़ने के पश्चात, न्यूनतम लागत वाले आवेदक की इष्टतम उत्पादन लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.2 <u>चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत</u>

32. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिभागिता के अभाव में, निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत पर पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

33. ऊपर प्रस्तावित रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	(अमेरिकी डॉलर/एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/एमटी)	%	रेंज
चीन					
एचईडीपी एसिड	***	***	***	***	30-40
एटीएमपी एसिड	***	***	***	***	40-50

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

नीचे अनुरोधों का समेकित रूप दिया गया है, जिसमें सभी सारभूत तर्कों को बनाए रखते हुए पुनरावृत्त बिंदुओं को मिला दिया गया है:

i. पीओआई के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के आयातों की मात्रा बढ़ी और पीओआई के बाद की अवधि में भी तेजी से बढ़ती रही, जबकि घरेलू बाजार में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं था। संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी और बिक्री में गिरावट आई।

ii. संबद्ध देश के निर्यातकों ने 2021-22 के बाद अपनी निर्यात कीमतों में जानबूझकर कमी की, जब घरेलू उद्योग ने बाजार की मांग पूरी करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई थी। पीओआई के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट पीले फॉस्फोरस की कीमत में गिरावट की तुलना में असंगत रूप से अधिक थी और पीओआई के बाद की अवधि में भी जारी रही, यहां तक कि जब पीले फॉस्फोरस की कीमत बढ़ी।

iii. आयातों की लगातार घटती पहुंच कीमत के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत दमन हुआ। संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से बिक्री कीमतें घटानी पड़ीं, जिससे तीव्र कीमत प्रतिस्पर्धा हुई।

iv. घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत की तुलना में पहुंच कीमत में गिरावट ने घरेलू उद्योग को उपलब्ध मार्क-अप को काफी कम कर दिया, जिसका उसकी लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

v. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय क्षति हुई। यद्यपि कम लागत के कारण पीओआई में हानियां कुछ कम हुईं, परंतु स्थिर लागत में पर्याप्त कमी के बावजूद वे बनी रहीं और पीओआई के बाद की अवधि में और बिगड़ गईं क्योंकि बढ़ती लागत के बावजूद घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

vi. लगातार पाटन ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। घरेलू उद्योग ने आयातों की पूरी मात्रा को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त माल-सूची भी बनाए रखी।

vii. संबद्ध देश के निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमताएं हैं, जिससे भारत को पाटित निर्यात बढ़ने और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने का निरंतर खतरा है।

viii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति में योगदान नहीं दिया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, अनुबंध-II के साथ पठित, यह प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "...सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांचना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे

आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, माल-सूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि, पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में किए गए तर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण जांच के दौरान किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

छ.3.1 <u>एचईडीपी एसिड के संबंध में क्षति की जांच</u>

छ.3.1.1. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

37. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से एचईडीपी एसिड के आयात के योग के रूप में किया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	5,115	2,626	1,453	1,967
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	51	28	38
अन्य आयात	एमटी	0	20	0	0
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	122	152
घरेलू उद्योग की निजी खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	160	163
कुल मांग - निजी खपत को छोड़कर	**एमटी**	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	78	81	102
कुल मांग - निजी खपत सहित	**एमटी**	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	113	127

38. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग (निजी खपत को छोड़कर) आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घटी। तथापि, अगले वर्ष और पीओआई के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मांग लगभग समान रही।

ख. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

39. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	5,115	2,626	1,453	1,967
अन्य आयात	एमटी	0	20	0	0
कुल आयात	एमटी	5,115	2,646	1,453	1,967
भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	83	97
भारतीय खपत - निजी खपत सहित	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	113	127
संबद्ध आयात का अनुपात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	69	34	40
भारतीय खपत - निजी खपत सहित	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	55	25	30
कुल आयात	%	100%	99%	100%	100%

40. **यह नोट किया जाता है कि:**

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 2021-22 में 5,115 एमटी से घटकर 2022-23 में 2,626 एमटी और आगे 2023-24 में 1,453 एमटी हो गई। इसके बाद पीओआई में

आयात बढ़कर 1,967 एमटी हो गए। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

ii. घरेलू उत्पादन क्षमता के सुदृढ़ होने के साथ भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष आयात तेजी से घटे। उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात 2021-22 में ***% से घटकर 2023-24 में ***% हो गए, जबकि खपत के प्रतिशत के रूप में आयात इसी अवधि में ***% से घटकर ***% हो गए, यद्यपि पीओआई में इन अनुपातों में मध्यम वृद्धि हुई।

iii. संबद्ध आयातों ने पूरे क्षति अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के लगभग समस्त आयातों का प्रतिनिधित्व किया और कुल आयातों का 99-100% हिस्सा रहे, जबकि अन्य देशों से आयात नगण्य रहे।

छ.3.1.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

41. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क. कीमत का विकास

42. एचईडीपी एसिड के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख फीडस्टॉक पीला फॉस्फोरस है। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत और आयात कीमतों की जांच की है। संगत सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	₹/एमटी	1,60,016	1,46,823	93,054	93,789
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		-8%	-37%	1%
क्षति अवधि के दौरान परिवर्तन	%				-41%
पीला फॉस्फोरस	₹/एमटी	3,33,252	4,66,629	3,39,429	3,23,060
परिवर्तन	%		40%	-27%	-5%

क्षति अवधि के दौरान परिवर्तन	%				-3%

43. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में प्रमुख कच्चे माल, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में 40% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, कच्चे माल की लागत में ऐसी वृद्धि के बावजूद उसी अवधि में एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत घटी। इसके बाद 2023-24 में कच्चे माल की कीमत और एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत दोनों घटीं। फिर भी, एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी।

44. इसके अतिरिक्त, 2024-25 में, यद्यपि संबद्ध आयातों में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में कमी के अनुरूप नहीं थी, फिर भी ऐसी गिरावट बिक्री कीमतों में पहले हुई कमी के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 3% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की कीमत लगभग 41% घटी, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में महत्वपूर्ण क्षरण को दर्शाता है।

ख. कीमत कटौती

45. कीमत कटौती का निर्धारण पीओआई के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती दर्शाती है।

विवरण	इकाई	पीओआई
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	93,789
कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	% रेंज	नकारात्मक

46. यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से अधिक थी। आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योग की बिक्री

कीमत से ₹ *** प्रति एमटी अधिक पर बेची गईं, जिसके परिणामस्वरूप -***% की नकारात्मक कीमत कटौती हुई।

47. यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे थे।

ग. कीमत दमन और कीमत ह्रास

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक दबाना अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है:

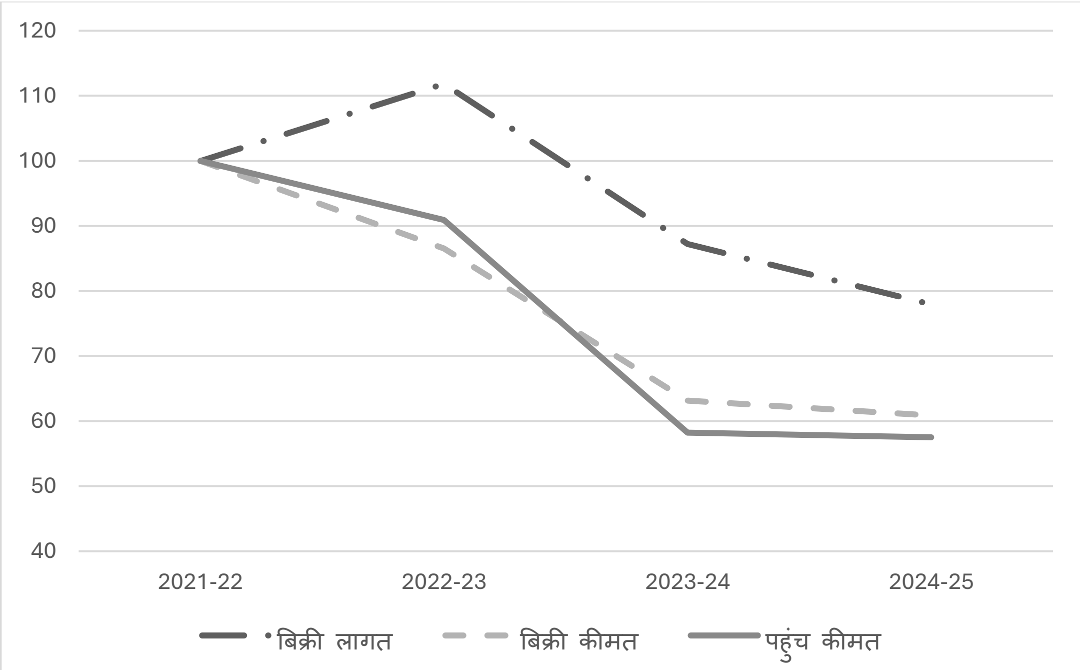

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	87	78
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	87	63	61
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,60,016	1,46,823	93,054	93,789

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	58	59

49. समग्र क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग 39% घटी, जबकि बिक्री लागत में केवल लगभग 22% की कमी हुई। इसके अतिरिक्त, जहां पहले दो वर्षों में आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से ऊपर रही, वहीं अगले दो वर्षों में यह बिक्री लागत से नीचे चली गई। लागतों की तुलना में बिक्री कीमतों में काफी अधिक गिरावट, और बाद के वर्षों में आयातों का बिक्री लागत से कम कीमत पर होना, यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत दमन और कीमत ह्रास किया है।

छ.3.1.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

50. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। ऐसे कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल और क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं।

51. तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की जांच की है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए उनका वस्तुनिष्ठ आकलन किया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

52. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	166	171

संयंत्र का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	75	103	120
संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	83	97
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	55	62	70
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	122	152
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	65	55	62
निजी खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	160	163

53. प्राधिकारी नोट करता है कि:

i. घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता क्षति अवधि में लगातार बढ़ी और आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में लगभग 37%, 2023-24 में लगभग 66% तथा 2024-25 में लगभग 71% बढ़ी। यह अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन क्षमता में पर्याप्त विस्तार दर्शाता है। तथापि, ऐसी क्षमताओं के मुकाबले उत्पादन 2022-23 में घटा और 2023-24 तथा पीओआई में थोड़ा बढ़ा। आधार वर्ष से स्थापित क्षमता में 71% वृद्धि के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि केवल 20% रही।

ii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 में लगभग 26% तेजी से घटा, परंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में लगभग 11% और 2024-25 में लगभग 17% बढ़ा। फिर भी, आधार वर्ष की तुलना में 2024-25 में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन लगभग 3% कम रहा, जो बाद में सुधार के बावजूद कुल मिलाकर मामूली गिरावट दर्शाता है।

iii. संयंत्र क्षमता उपयोग में भी समान प्रवृत्ति रही। यह आधार वर्ष में ***% से घटकर 2022-23 में ***% हो गया, जो लगभग 45% की गिरावट है। इसके बाद क्षमता उपयोग 2023-24 में ***% और 2024-25 में आगे बढ़कर ***% हुआ। तथापि, 2024-25 में भी क्षमता उपयोग आधार वर्ष के स्तर से लगभग 30% कम रहा, जो विस्तारित क्षमता के महत्वपूर्ण अल्प-उपयोग को दर्शाता है।

iv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री बढ़ी। 2022-23 में लगभग अपरिवर्तित रहने के बाद, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू बिक्री 2023-24 में लगभग 23% और 2024-25 में लगभग 52% बढ़ी। निजी खपत भी लगातार बढ़ी और आधार वर्ष की तुलना

में 2022-23 में लगभग 14%, 2023-24 में लगभग 60% तथा 2024-25 में लगभग 63% बढ़ी। इसके विपरीत, निर्यात बिक्री 2022-23 में लगभग 35% और 2023-24 में लगभग 45% तेजी से घटी तथा 2024-25 में आधार वर्ष के स्तर से लगभग 38% कम रही।

v. घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि और निजी खपत के भी बढ़ने को देखते हुए, उत्पादन में कुल गिरावट संभवतः निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हो सकती है।

ख. बाजार हिस्सेदारी

54. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की नीचे दिए अनुसार जांच की है।

की बाजार हिस्सेदारी	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	66	35	38
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	151	149
कुल	%	100%	100%	100%	100%

55. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% से बढ़कर ***% हुई, जबकि संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी ***% से घटकर ***% हुई।

ग. माल-सूची

56. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची नीचे दी गई तालिका में है:

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आरंभिक माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	127	91	71
अंतिम माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	72	56	71

औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	72	71

57. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि में घटी और पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रही, जो माल-सूची के संचय की अनुपस्थिति दर्शाती है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

58. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	87	78
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	87	63	61
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-45	-62	-28
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-45	-76	-43
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-30	-59	-27
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-30	-49	-18
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-43	-87	-40

59. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था। तथापि, 2022-23 में बिक्री लागत लगभग 12% बढ़ी जबकि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण बिक्री

कीमत लगभग 13% घटी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तेजी से बिगड़ी और वह वर्ष के दौरान लाभ से हानि में चला गया।

ii. घरेलू उद्योग को 2022-23 में हानि हुई और 2023-24 में हानि और बढ़ी। यद्यपि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हानि की मात्रा कम हुई, घरेलू उद्योग हानि की स्थिति में बना रहा, जो दर्शाता है कि उद्योग अभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में था।

iii. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष के सकारात्मक स्तर से घटकर 2024-25 में हानि में बदल गया। यह लगभग 128% की गिरावट दर्शाता है, जो लाभप्रदता के पूर्ण क्षरण और क्षति अवधि में लाभ से लगातार हानि की ओर संक्रमण को प्रतिबिंबित करता है।

iv. नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्षति अवधि में नकद लाभ लगभग 127% घटा, जबकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल लगभग 140% घटा। यद्यपि दोनों सूचकों में तुरंत पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में कुछ सुधार हुआ, वे नकारात्मक बने रहे, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन और अर्जित प्रतिफल लगातार महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल रहे।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

60. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	90	101
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	88	88	93
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	95	93
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	75	83	97

61. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 के दौरान वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता घटी। 2023-24 में वेतन और मजदूरी में और गिरावट हुई, जबकि वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ने के कारण उत्पादकता मानदंडों में सुधार हुआ।

पीओआई के दौरान वेतन और मजदूरी तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज हुई। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में घटी परंतु पीओआई के दौरान बढ़ी। घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के संबंध में महत्वपूर्ण क्षति का दावा नहीं किया है और इनकी जांच से महत्वपूर्ण क्षति का संकेत देने वाली कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती।

च. वृद्धि

62. वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है: -

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25
क्षमता	%	37%	21%	3%
उत्पादन	%	-26%	11%	17%
घरेलू बिक्री	%	-1%	23%	25%
लाभ/हानि	%	-145%	-69%	44%
नकद लाभ	%	-130%	-97%	54%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-143%	-105%	54%

63. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किया। जहां उत्पादन और घरेलू बिक्री प्रारंभ में 2022-23 में घटी अथवा दबाव में रही, वहीं दोनों मानदंडों में बाद के वर्षों में सुधार दर्ज हुआ। घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में भी पीओआई के दौरान सुधार दिखाई दिया, जो लाभ/हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में सुधार से प्रतिबिंबित होता है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

64. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। तथापि, ऐसी क्षमता वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल से जूझ रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने ब्याज व्यय को शामिल करने से पहले भी हानि उठाई है, जो प्रतिकूल परिचालन निष्पादन दर्शाता है। लगातार वित्तीय गिरावट को देखते हुए प्राधिकारी मानता है कि घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने या संगठित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक

65. प्राधिकारी नोट करता है कि कीमत मानदंडों की जांच से पता चलता है कि 2023-24 और पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। यह भी देखा गया है कि आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर बेचने के लिए बाध्य हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में लाभकारी कीमत प्राप्त नहीं कर पाया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने मात्रा मानदंडों में सुधार दर्ज किया है, यह सुधार उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ है। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष प्रस्तावित करता है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है और उन्होंने उसकी कीमत निर्धारण क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

66. पाटन की मात्रा इस बात का सूचक है कि आयात किस सीमा तक भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जांच से पता चला है कि पीओआई में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.1.4. क्षति का विश्लेषण

67. संबद्ध आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसके परिणामी प्रभाव की उपर्युक्त जांच को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि:

   क. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में संबद्ध आयातों की मात्रा 2023-24 तक घटी। इसके बाद पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई।

   ख. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात उत्पादन और खपत के सापेक्ष घटे।

   ग. संबद्ध आयातों की कीमतें प्रमुख फीडस्टॉक, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में गिरावट की तुलना में अधिक घटीं।

घ. आयात कीमतों में कमी ने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत दबाव डाला और उसे अपनी बिक्री कीमतें बिक्री लागत में कमी से अधिक घटाने के लिए बाध्य किया।

ङ. 2023-24 से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे चली गई, जिससे घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को लागत से कम पर बेचने के लिए बाध्य हुआ।

च. आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की कीमत संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर रखने के लिए बाध्य हुआ है।

छ. घरेलू उद्योग में क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी और माल-सूची सहित मात्रा मानदंडों में गिरावट नहीं देखी गई।

ज. मात्रा मानदंडों में सुधार के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड बिगड़े।

झ. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ, फिर भी यह आधार वर्ष में दर्ज स्तर से काफी नीचे रही।

ञ. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और नकद हानि हुई तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिलता रहा।

ट. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और पर्याप्त प्रतिफल उत्पन्न करने तथा आगे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर किया।

ठ. संबद्ध आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है।

छ.3.2 <u>एटीएमपी एसिड के संबंध में क्षति की जांच</u>

छ.3.2.1. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

68. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से एटीएमपी एसिड के आयात के योग के रूप में किया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	487	355	336	335
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	70	103	135
घरेलू उद्योग की निजी खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	18	112	135
कुल मांग - निजी खपत को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	71	91	112
कुल मांग - निजी खपत सहित	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	53	98	120

69. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग (निजी खपत को छोड़कर) आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घटी। तथापि, अगले वर्ष और पीओआई के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मांग बढ़ी।

ख. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	487	355	336	335
अन्य देशों से आयात	एमटी	0	0	0	0
कुल आयात	एमटी	487	355	336	335
भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	41	88	88
भारतीय खपत - निजी खपत सहित	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	53	98	120
संबद्ध आयात का अनुपात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	177	78	78
भारतीय खपत - निजी खपत सहित	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	139	70	57
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%

71. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घटी और 2023-24 में और घटी तथा पीओआई के दौरान लगभग समान स्तर पर रही।
ii. घरेलू क्षमताओं और उत्पादन में वृद्धि के साथ, क्षति अवधि में भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष संबद्ध आयात घटे।
iii. विचाराधीन अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के समस्त आयात संबद्ध आयातों के ही थे।

छ.3.2.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

72. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, प्राधिकारी को भारत में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क. कीमत का विकास

73. प्राधिकारी नोट करता है कि एटीएमपी एसिड के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख फीडस्टॉक पीला फॉस्फोरस है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान उक्त कच्चे माल की लागत और संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों की प्रवृत्ति की जांच की है। संगत सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,56,977	1,41,000	89,179	87,217
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	% (वर्ष-दर-वर्ष)	-	-10%	-37%	-2%
क्षति अवधि के दौरान परिवर्तन					-44%
पीला फॉस्फोरस	₹/एमटी	3,33,252	4,66,629	3,39,429	3,23,060
परिवर्तन	% (वर्ष-दर-वर्ष)	-	40%	-27%	-5%
क्षति अवधि के दौरान परिवर्तन					-3%

74. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 40% बढ़ी; तथापि, उसी अवधि में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 10% घटी। 2023-24 में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 27% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 37% घटी, जो फीडस्टॉक कीमतों की तुलना में आयात कीमतों में अधिक तेज गिरावट दर्शाती है। पीओआई के दौरान पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 5% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 2% घटी। कुल मिलाकर, क्षति अवधि में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 3% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 44% घटी, जो संबद्ध आयातों की कीमतों में असंगत रूप से अधिक गिरावट दर्शाती है।

ख. कीमत कटौती

75. प्राधिकारी ने पीओआई के लिए कीमत कटौती का निर्धारण समान वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया है। संबद्ध देश के संबंध में कीमत कटौती की सीमा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

विवरण	इकाई	पीओआई
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	87,217

कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10%

76. यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की।

ग. कीमत दमन और कीमत ह्रास

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक दबाना अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है:

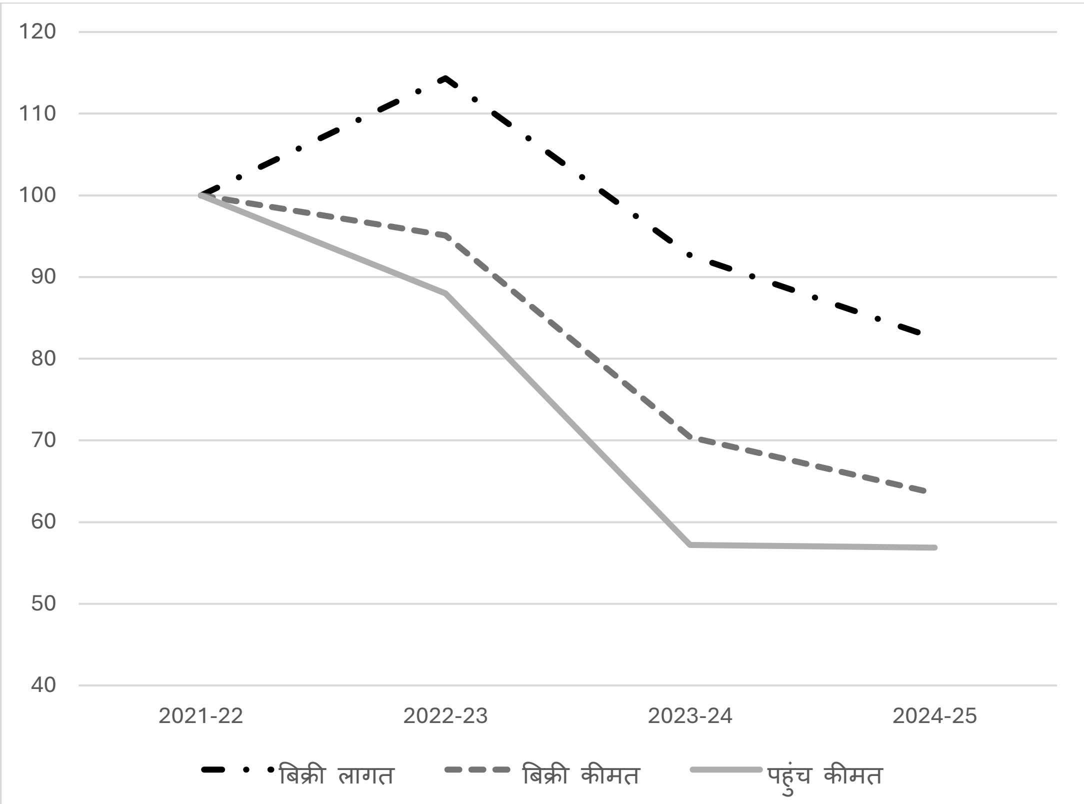

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	93	83

बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	95	70	64
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,56,977	1,41,000	89,179	87,217
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	57	56

78. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, जबकि उसी अवधि में बिक्री कीमत घटी। 2023-24 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों घटीं; तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। 2024-25 के दौरान बिक्री कीमत लगातार घटी और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि में तेजी से घटी और 2023-24 तथा 2024-25 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के साथ निकटता से चली, जो आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर डाले गए महत्वपूर्ण कीमत दबाव को दर्शाती है।

79. कुल मिलाकर, क्षति अवधि में बिक्री लागत लगभग 17% घटी, जबकि बिक्री कीमत लगभग 36% और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत लगभग 44% घटी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसकी बिक्री लागत की तुलना में काफी अधिक गिरावट, संबद्ध आयातों के कारण महत्वपूर्ण कीमत दमन और कीमत ह्रास को प्रमाणित करती है।

छ.3.2.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

80. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की जांच नीचे की गई है। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों, तर्कों और प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

81. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	166	171
संयंत्र का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	75	103	120
संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	41	88	88
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	55	62	70
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	70	103	135
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	71	95	68
निजी खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	18	112	135

82. यह नोट किया जाता है कि :-

i. घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी। तथापि, ऐसी क्षमताओं के मुकाबले उत्पादन में केवल मामूली वृद्धि हुई।
ii. संयंत्र का उत्पादन 2022-23 में घटा, परंतु उसके बाद सुधरा और 2024-25 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ा।
iii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 में तेजी से घटा, 2023-24 में सुधरा और 2024-25 के दौरान लगभग समान स्तर पर रहा।
iv. संयंत्र क्षमता उपयोग 2022-23 में महत्वपूर्ण रूप से घटा, परंतु बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से सुधरा, यद्यपि यह आधार वर्ष के स्तर से नीचे रहा।
v. घरेलू बिक्री 2022-23 में घटी, परंतु उसके बाद सुधरी और 2024-25 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ी।
vi. क्षति अवधि के दौरान निर्यात बिक्री घटी और आधार वर्ष के स्तर से नीचे रही।

vii. क्षति अवधि के बाद के हिस्से में निजी खपत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी।

viii. कुल मिलाकर, स्थापित क्षमता, संयंत्र उत्पादन, घरेलू बिक्री और निजी खपत सहित घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंड क्षति अवधि के बाद के हिस्से में सुधार दर्शाते हैं।

ख. बाजार हिस्सेदारी

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है। संगत सूचना नीचे दी गई तालिका में है।

की बाजार हिस्सेदारी	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	76	62
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	114	121
कुल	**%**	100%	100%	100%	100%

84. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी उसी अनुपात में बढ़ी। घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में सक्षम रहा। तथापि, पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रही और घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए इस मानदंड का अन्य आर्थिक मानदंडों के साथ संयुक्त रूप से मूल्यांकन प्रस्तावित है।

ग. माल-सूची

85. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची नीचे दी गई तालिका में है:

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आरंभिक माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	197	90	75
अंतिम माल-सूची	एमटी	***	***	***	***

	सूचकांक	100	45	38	33
औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	96	55	47

86. औसत माल-सूची क्षति अवधि में लगातार घटी और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 53% की कुल कमी हुई।

87. कुल मिलाकर, आंकड़े माल-सूची रखने में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और विचाराधीन अवधि में माल-सूची का आधार काफी घटा है। यह संकेत देता है कि संस्था ने विशेष रूप से 2023-24 से आगे अपने माल-सूची स्तरों को क्रमशः कम किया है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

88. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	93	83
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	95	70	64
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	27	-8	-4
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	19	-9	-5
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	23	-2	2
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	33	-2	2
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	29	-4	-3

89. यह नोट किया जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ कमाया। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि और बिक्री कीमतों में गिरावट के साथ लाभप्रदता तेजी से बिगड़ी और 2023-24 से हानि में बदल गई।

ii. लाभ आधार वर्ष में ₹*** लाख से घटकर 2022-23 में ₹*** लाख रह गया और उसके बाद हानि में बदल गया। यद्यपि पीओआई के दौरान हानि कम हुई, घरेलू उद्योग को हानि होती रही।

iii. प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में ₹***/एमटी से घटकर पीओआई के दौरान ₹***/एमटी की हानि हो गया, जो 104% की गिरावट दर्शाता है।

iv. नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी समान प्रवृत्ति रही। जहां पीओआई के दौरान नकद लाभ मामूली रूप से सकारात्मक हुआ, वहीं यह आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रहा। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2023-24 और पीओआई के दौरान नकारात्मक रहा, जो घरेलू उद्योग को लगातार वित्तीय क्षति दर्शाता है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में हैं:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	49	78	95
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	72	88	96
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	83	98	90
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	41	87	88

91. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या 2022-23 में घटी, परंतु उसके बाद सुधरी और पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर के निकट पहुंच गई। वेतन और मजदूरी में भी समान प्रवृत्ति रही और यह आधार वर्ष के स्तर से मामूली नीचे रही। प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रति दिन उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान घटी। यद्यपि दोनों सूचकों में 2022-23 के बाद सुधार हुआ, वे पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर से नीचे बने

रहे, जो दर्शाता है कि उत्पादकता पूरी तरह पुनः प्राप्त नहीं हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का दावा नहीं किया है और इनकी जांच से इस संबंध में क्षति का निष्कर्ष आवश्यक बनाने वाली कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति नहीं मिलती।

च. वृद्धि

92. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25
क्षमता	%	37%	21%	3%
उत्पादन	%	-59%	115%	-1%
घरेलू बिक्री	%	-30%	47%	31%
प्रति एमटी लाभ/हानि	%	-73%	-131%	57%
नकद लाभ	%	-67%	-105%	200%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-71%	-114%	20%

93. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी। तथापि, लाभप्रदता मानदंडों ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। पीओआई के दौरान कुछ सुधार हुआ, परंतु निष्पादन आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बना रहा।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

94. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में पीयूसी और एनपीयूसी दोनों के लिए सामान्य अपनी समग्र उत्पादन क्षमता बढ़ाई थी। तथापि, वह वित्तीय हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल से ग्रस्त है। घरेलू उद्योग को ब्याज का प्रावधान करने से पहले भी हानि हुई है। इसलिए आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक

95. कीमतों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग और आयातित वस्तुओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। घरेलू उद्योग बाजार में लाभकारी कीमत लेने में सक्षम नहीं रहा है। जहां घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों में सुधार हुआ है, यह सुधार उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ है। अतः, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

96. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.2.4. क्षति का विश्लेषण

97. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष प्रस्तावित करता है :-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा 2023-24 में घटी। पीओआई के दौरान आयात लगभग उसी स्तर पर रहे।

ख. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत प्रमुख फीडस्टॉक, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में गिरावट की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक दर से घटी।

ग. आयात कीमतों में गिरावट ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें घटाने के लिए बाध्य किया, जबकि उसकी बिक्री लागत में तुलनात्मक रूप से कम गिरावट हुई।

घ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही, जिससे उसे लागत से कम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा।

ङ. पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती की।

च. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी और माल-सूची सहित मात्रा मानदंडों में कोई गिरावट नहीं देखी।

छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड बिगड़े।

ज. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ, यह आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रही।

झ. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई, नकद लाभ में गिरावट दर्ज हुई और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ।

ञ. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और आगे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर किया।

ट. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

98. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह निर्धारित किया कि क्या वे भी उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, ताकि अन्य कारकों, यदि कोई हों, से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर न लगाया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचन अथवा खपत के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

99. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य देशों से एचईडीपी एसिड के आयात लगभग शून्य थे। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य देशों से एटीएमपी एसिड का कोई आयात नहीं हुआ।

ख. मांग में संकुचन

100. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड की मांग बढ़ी। जांच से यह संकेत नहीं मिला है कि मांग में किसी गिरावट ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है अथवा पहुंचाने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

101. प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य/सूचना नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो अथवा पहुंचाने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

102. प्राधिकारी नोट करता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से संकेत मिलता है कि पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. <u>निर्यात निष्पादन</u>

103. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

च. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

104. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक</u>

105. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है:

<u>एचईडीपी एसिड के संबंध में कारणात्मक संबंध</u>

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन के साथ भारत में पाटित की जा रही हैं।

ख. पाटित आयातों की पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर से घटी, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा।

ग. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घटी, लगातार कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें काफी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और ये आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे बने रहे।

ङ. संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार में कीमत दमन और कीमत ह्रास किया।

च. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचने के लिए बाध्य हुआ और उसे नकद हानि भी हुई।

छ. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

ज. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

<u>एटीएमपी एसिड के संबंध में कारणात्मक संबंध</u>

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन के साथ भारत में पाटित की जा रही हैं।

ख. पाटित आयातों की पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर से घटी, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा।

ग. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे।

घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घटी, लगातार कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अधिक दर से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और ये आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे बने रहे।

ङ. संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार में कीमत दमन और कीमत ह्रास किया।

च. घरेलू उद्योग हानि पर बेचने के लिए बाध्य हुआ और उसके नकद लाभ में गिरावट देखी गई।

छ. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

ज. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

106. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सत्यापित उत्पादन लागत सूचना के आधार पर किया गया है। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए इसकी तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। एनआईपी निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग पर विचार किया है। असाधारण और गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार, औसत नियोजित पूंजी (जिसमें औसत शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी शामिल हैं) पर कर-पूर्व 22% का उचित प्रतिफल एनआईपी तक पहुंचने के लिए अनुमत किया गया है।

107. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की पीयूसी के लिए तुलना की गई है। संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन

($)	($/एमटी)	($/एमटी)	($/एमटी)	%	रेंज
चीन					
एचईडीपी एसिड	***	***	***	***	10-20
एटीएमपी एसिड	***	***	***	***	15-25

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

108. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

109. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह व्यापक जनहित में होगा।

ii. प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिभागिता का अभाव यह दर्शाता है कि प्रस्तावित उपायों का प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

iii. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग प्रयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल अथवा प्रमुख इनपुट के रूप में नहीं किया जाता और इनका मुख्यतः जल उपचार, डिटर्जेंट, वस्त्र आदि अनुप्रयोगों में विशेष एडिटिव के रूप में उपयोग किया जाता है।

iv. एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लागत घटक नहीं हैं। प्रस्तावित शुल्कों के कारण कीमतों में कोई भी वृद्धि नगण्य होने की अपेक्षा है और इससे प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

v. जांच में भाग लेने वाले एकमात्र आयातक ने पर्याप्त लाभ कमाया है, जबकि घरेलू उद्योग को हानि हुई है।

vi. संबद्ध वस्तुओं के अंतिम प्रयोक्ता मुख्यतः बड़े पैमाने की कंपनियां हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में किसी परिवर्तन से उनके महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

vii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक नहीं हैं।

viii. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उचित और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक कल्याण में योगदान देता है, जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

x. अपस्ट्रीम उत्पाद, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, के उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

xi. शुल्क लगाना देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है।

xii. शुल्क न लगाने से आयातों पर निर्भरता बढ़ सकती है और प्रयोक्ताओं को निर्यातकों द्वारा संभावित शोषण के जोखिम में डाल सकती है।

xiii. शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के संरक्षण में योगदान होगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियां बहाल करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग और आयातों के बीच समान प्रतिस्पर्धी अवसर सुनिश्चित करना है। यद्यपि ऐसे उपाय भारत में उत्पाद की कीमतों के स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं, वे प्रतिस्पर्धा अथवा उपभोक्ता विकल्प में बाधा नहीं डालते। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन प्रथाओं से उत्पन्न अनुचित कीमत लाभ की निरंतरता को रोकते हैं और बाजार में निष्पक्ष व्यापार परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं।

111. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना जारी कर आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार और अनुरोध आमंत्रित किए। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित हितधारकों को वर्तमान जांच और उनके परिचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया अथवा प्राधिकारी के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक आयातक/प्रयोक्ता ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया, उसने न तो आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और न कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराई।

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें मुख्यतः ओएनजीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़े पैमाने की कंपनियां शामिल हैं। उसने आगे अनुरोध किया

है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड न तो प्रयोक्ताओं के प्रमुख इनपुट हैं और न कच्चे माल, बल्कि छोटी मात्राओं में केवल कीलेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

113. प्राधिकारी नोट करता है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का मुख्यतः रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित जल उपचार अनुप्रयोगों में सीक्वेस्टरिंग अथवा कीलेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एचईडीपी एसिड का उपयोग डिटर्जेंट और साबुन में भी किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना और नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाए अनुसार, प्राधिकारी नोट करता है कि शुल्क लगाने से अंतिम डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत में 1% से कम की वृद्धि होगी।

<u>**रिफाइनरी/पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के जल उपचार में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड**</u>

विवरण	इकाई		मूल्य	मूल्य
वार्षिक जल-शीतलन अनुबंध मूल्य	₹	क	20,00,00,000	20,00,00,000
जल उपचार में एचईडीपी एसिड की मात्रा	पीपीएम	ख	3	5
प्रयुक्त एचईडीपी एसिड	कि.ग्रा./दिन	ग	108	180
प्रयुक्त एचईडीपी एसिड	कि.ग्रा./वर्ष	घ = ग*365	39,420	65,700
एचईडीपी एसिड की पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	ङ	94	94
एक वर्ष में एचईडीपी एसिड की लागत	₹	च = ङ*घ	37,01,340	61,68,900
अनुबंध मूल्य के संबंध में एचईडीपी एसिड की लागत	%	छ = च/क*100	1.85%	3.08%
एचईडीपी एसिड पर पाटनरोधी शुल्क	₹	ज = ङ*15%	17	17
शुल्क के बाद अनुबंध मूल्य के संबंध में एचईडीपी एसिड की बढ़ी हुई लागत	%	झ = ज*घ	6,70,140	11,16,900

जल-शीतलन अनुबंध पर शुद्ध प्रभाव	%	ञ = झ/क∗100	0.34%	0.56%

<u>डिटर्जेंट/साबुन में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड</u>

विवरण	इकाई		मूल्य
1 कि.ग्रा. डिटर्जेंट/साबुन की औसत लागत	₹	क	55
100 कि.ग्रा. डिटर्जेंट की लागत	₹	ख = क∗100	5,500
100 कि.ग्रा. में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड	ग्राम	ग	200
एचईडीपी एसिड की पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	घ	94
100 कि.ग्रा. डिटर्जेंट में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड की लागत	₹	ङ = ग∗घ / 1000	19
डिटर्जेंट के संबंध में एचईडीपी एसिड की लागत	%	च = ङ/ख∗100	0.34%
एचईडीपी एसिड पर पाटनरोधी शुल्क	₹	छ = घ∗15%	17
शुल्क के बाद डिटर्जेंट के संबंध में एचईडीपी एसिड की बढ़ी हुई लागत	%	ज = छ∗ग	3.4
डिटर्जेंट/साबुन की लागत पर शुद्ध प्रभाव	%	ञ = ज/ख	0.06%

<u>रिफाइनरी/पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के जल उपचार में प्रयुक्त एटीएमपी एसिड</u>

विवरण	इकाई		मूल्य	मूल्य
वार्षिक जल-शीतलन अनुबंध मूल्य	₹	क	20,00,00,000	20,00,00,000
जल उपचार में एटीएमपी एसिड की मात्रा	पीपीएम	ख	3	5
प्रयुक्त एटीएमपी एसिड	कि.ग्रा./दिन	ग	108	180
प्रयुक्त एटीएमपी एसिड	कि.ग्रा./वर्ष	घ = ग∗365	39,420	65,700
एटीएमपी एसिड की पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	ङ	87	87

एक वर्ष में एटीएमपी एसिड की लागत	₹	च = ङ∗घ	34,15,073	57,15,900
अनुबंध मूल्य के संबंध में एटीएमपी एसिड की लागत	%	छ = च/क∗100	1.71%	2.86%
एटीएमपी एसिड पर पाटनरोधी शुल्क	₹	ज = ङ∗15%	18	18
शुल्क के बाद अनुबंध मूल्य के संबंध में एटीएमपी एसिड की बढ़ी हुई लागत	%	झ = ज∗घ	7,09,560	11,82,600
जल-शीतलन अनुबंध पर शुद्ध प्रभाव	%	ञ = झ/क∗100	0.35%	0.59%

114. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि शुल्क न लगाए जाने से संबद्ध देश से आयातों पर निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसी निर्भरता संबद्ध निर्यातकों को भारतीय बाजार में अनुचित प्रभाव डालने का अवसर दे सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और प्रयोक्ताओं के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

115. प्राधिकारी नोट करता है कि देश में ऐसी कोई मांग-आपूर्ति कमी नहीं है जिसके कारण संबद्ध वस्तुओं के आयात आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार उसके पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, जो भारत की वर्तमान और पूर्वानुमेय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

ठ. <u>प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियाँ</u>

116. प्राधिकारी ने अपना अंतिम निर्धारण करने के लिए विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक वे प्रासंगिक पाई गई हैं, जाँच की है। जिन प्रस्तुतियों में केवल पूर्व में दी गई प्रस्तुतियों को दोहराया गया है और जिनकी ऊपर संबंधित खंडों में पहले ही जाँच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ विस्तारपूर्वक पुनः नहीं दोहराया गया है।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

117. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से प्रकटन के पश्चात कोई टिप्पणी अथवा प्रस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

118. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. **विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन।** घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह प्रकटन विवरण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, आवेदकों की घरेलू उद्योग के रूप में स्थिति, नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता तथा चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के संबंध में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि करे।

ii. **घरेलू उद्योग को क्षति।** एचईडीपी एसिड के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि आयात कीमतों में कच्चे माल की कीमतों की तुलना में कहीं अधिक गिरावट आई और वे उसकी लागत से नीचे बनी रहीं। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा तथा हानि, नकद हानि और नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ। एटीएमपी एसिड के संबंध में घरेलू उद्योग ने यही प्रस्तुति की है और यह भी कहा है कि आयात कीमतों ने घरेलू कीमतों में कटौती की। उसने इस निष्कर्ष की पुष्टि का अनुरोध किया है कि पाटित आयातों के कारण क्षति हुई।

iii. **सार्वजनिक हित।** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का उपयोग कीलेटिंग अथवा सीक्वेस्टरिंग एजेंट के रूप में अल्प मात्रा में होता है; पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता उपलब्ध है; और किसी उपयोगकर्ता ने प्रस्तावित उपाय का विरोध नहीं किया है। अतः उसने इस निष्कर्ष की पुष्टि का अनुरोध किया है कि शुल्क से उपयोगकर्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

iv. **निर्यातकों द्वारा असहयोग।** चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने जाँच में भाग नहीं लिया है। नियम 6(8), विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 7 तथा नामित प्राधिकारी बनाम हैल्डोर टॉप्सो ए/एस के निर्णय पर भरोसा करते हुए घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग कर सकता है और असहयोग के कारण असहयोगी निर्यातकों को अधिक अनुकूल परिणाम नहीं मिलना चाहिए।

v. **शुल्क और प्रार्थना।** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि कोई भी पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहेगा। उसने ऊपर बताए गए आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पुनर्निर्धारण करने तथा चीन जनवादी गणराज्य से एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

119. **मुद्दा 1: विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन।** प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात ऐसा कोई नया तथ्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इन निष्कर्षों में परिवर्तन करना आवश्यक हो। अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे, घरेलू उद्योग तथा उसकी पात्रता और ऊपर पहले से अभिलिखित पाटन संबंधी निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

120. **मुद्दा 2: क्षति और कारणात्मक संबंध।** एचईडीपी एसिड के संबंध में जाँच अवधि के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक है, तथापि आयातों के पहुँच मूल्य में तीव्र गिरावट आई, वह वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत से कम बना रहा और उसने घरेलू कीमतों पर दबाव डाला। घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ। एटीएमपी एसिड के संबंध में भी पहुँच मूल्य में तीव्र गिरावट आई, जाँच अवधि में आयातों ने घरेलू कीमतों में कटौती की और उनका पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत से कम बना रहा। इसलिए प्राधिकारी कीमतों के दमन और ह्रास, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में अपने निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

121. **मुद्दा 3: सार्वजनिक हित।** किसी भी उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है जो शुल्क के किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हो। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव 0.5% से कम है तथा वर्तमान और निकट भविष्य की अनुमानित माँग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी सार्वजनिक हित के संबंध में अपने निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

122. **मुद्दा 4: असहयोग और उपलब्ध तथ्य।** चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का उपयोग किया है, जिनमें आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस आयात आँकड़े तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सत्यापित सूचना शामिल हैं। अनुबंध-II का पैरा 7 तथा हैल्डोर टॉप्सो संबंधी निर्णय, आवश्यक सूचना रोककर रखे जाने की स्थिति में उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

123. **मुद्दा 5: शुल्क की अधिकतम सीमा और सिफारिश।** यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता, निर्यात कीमत अथवा पहुँच मूल्य निर्धारित करने की पद्धति को परिवर्तित नहीं करता है। पहले अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं। उसके पश्चात न्यूनतर शुल्क नियम के अनुसार शुल्क की सिफारिश की जाती है। केवल इस आधार पर प्रकटन में किए गए निर्धारण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

ड. निष्कर्ष

124. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों, उनमें उठाए गए मुद्दों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की जाँच करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

क. विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स-फॉस्फोनिक एसिड हैं, अर्थात् (i) एचईडीपी एसिड और (ii) एटीएमपी एसिड, उनके सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में; तथापि इनके लवण, फॉर्मुलेशन तथा व्युत्पन्न उत्पाद इस दायरे से बाहर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ आयातित विषय वस्तुओं के समान वस्तुएँ हैं।

ख. वर्तमान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है। विश्लेषण के प्रयोजन से अन्य सांद्रताओं में किए गए आयातों की मात्राओं को एचईडीपी एसिड के लिए 60% सांद्रता तथा एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता मानकर समतुल्य मात्राओं में परिवर्तित किया गया है।

ग. एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत में विषय वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित पात्रता संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।

घ. चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक/निर्यातक ने जाँच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन धनात्मक एवं महत्वपूर्ण हैं।

ङ. एचईडीपी एसिड के संबंध में, यद्यपि क्षति अवधि के दौरान विषय आयातों की मात्रा घटी और जाँच अवधि में कीमत कटौती ऋणात्मक थी, फिर भी पहुँच मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई और वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे बना रहा। विषय आयातों ने कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला तथा कीमतों का दमन और ह्रास किया। मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ।

च. एटीएमपी एसिड के संबंध में विषय आयातों के पहुँच मूल्य में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई। जाँच अवधि में इसने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की और वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे बना रहा। मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट हुई, उसे हानि उठानी पड़ी तथा नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ।

छ. विषय आयातों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमतों तथा पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने और आगे के पूँजी निवेश के लिए संसाधन जुटाने की उसकी क्षमता को प्रतिकूल

रूप से प्रभावित किया है। अन्य ज्ञात कारकों की जाँच से यह स्थापित नहीं होता कि घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण हुई है। इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति विषय देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ज. विषय वस्तुओं के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन धनात्मक हैं। न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड, दोनों के लिए क्षति दूर करने हेतु आवश्यक शुल्क की राशि पाटन मार्जिन से कम है।

झ. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक सार्वजनिक हित में है। किसी उपयोगकर्ता/उपभोक्ता ने प्रस्तावित उपाय के अनुपातहीन प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाली सूचना प्रस्तुत नहीं की है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लागत पर प्रभाव सीमित रहेगा तथा भारत की वर्तमान और निकट भविष्य की अनुमानित माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

ढ. सिफारिशें

125. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच आरंभ की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से जुड़े पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जाँच आरंभ करने और संचालित करने के पश्चात प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति का निराकरण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए प्राधिकारी विषय देश में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के उद्देश्य से पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकारी विषय देश में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2918 2910 2922 1990 2931 4990 2931 5900 2931 9019 2931 9090 2942 0090 3809 9200 3824 9900	एचईडीपी एसिड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	200	मी.ट.	अमरी की डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	200	मी.ट.	अमरी की डॉलर
3	-वही-	एटीएमपी एसिड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	214	मी.ट.	अमरी की डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	214	मी.ट.	अमरी की डॉलर

ण. आगे की प्रक्रिया

127. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-09-2026
17:44:59

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी